

राजस्थान प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण, राज. जयपुर
 क्रमांक: एफ.14()कैम्पा/अप्रमुवसं/लेखा/ब.आ./2022-23/ 3238 दिनांक : 19/05/2022

बजट आवंटन आदेश- 4

वर्ष 2022-23 की स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना के मद संख्या-54 **Capacity Building** के अनुसार आवंटित कार्यों को पूर्ण कराने हेतु अधिनस्थ वन मण्डल को IFMS के माध्यम से निम्नानुसार बजट मद में बजट आवंटन किया जाकर व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

2406-04-103-04-01-12

2406- Forest & wildlife

04-Afforestation and Ecology Development

103- State Compensatory Afforestation (SCA)

(04)- Net Present Value of Forest Land

(01)- Compensatory Afforestation

12 - Grant in Aid (Other than Salary)

APO Item No. : 54 Capacity Building				
क्र.सं.	कार्यालय का नाम	Activity	बजट आवंटन	
			Unit Cost	Amount to be Alloted (Rs. In Lakh)
1	उप वन संरक्षक, राजस्थान वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर	a) Capacity Enhancement, Skill development and Knowledge upgradation trainings for Senior Executives /DCFs/ACFs/Ros/Surveyers/Forest staff/ Policy makers /Techical staff/drivers	LS	100.00
योग				100.00

सामान्य शर्तें:

- 1 इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ.14()ए.पी.ओ./2022-23/कैम्पा/अप्रमुवसं/2915-27 दिनांक 18.05.2022 में वर्णित शर्तों की अनुपालना किया जाना सुनिश्चित हो।
- 2 उप वन संरक्षकगण कृपया सुनिश्चित करें कि कैम्पा मद के अन्तर्गत आवंटित बजट का व्यय अनुमोदित कार्य योजना/वन्य जीव प्रबंधन योजना में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार ही करें।
- 3 आवंटित बजट का व्यय कैम्पा Guidelines o Compensatory Afforestation Fund Act. 2016 (CAF act) तथा Compensatory Afforestation Fund Rules, 2018(CAF rules). के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जावे।
- 4 आवंटित बजट से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावे।
- 5 उक्त आवंटन के विरुद्ध यदि किसी राशि का उपयोग संभव नहीं हो तो राशि शीघ्र इस कार्यालय को मय औचित्य समर्पित कर दी जावे।
- 6 आवंटित बजट की राशि का आहरण केवल तभी किया जाये जब स्वीकृत कार्य से सम्बन्धित व्यय का भुगतान किया जाना हो।
- 7 आवंटित राशि जिस उद्देश्य/कार्य के लिए आवंटित की गई है उसी उद्देश्य/कार्य के लिए नियमानुसार व्यय की जावे तथा इसमें किसी भी तरह का प्रशासनिक व्यय सम्मिलित नहीं किया जावे।
- 8 कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन की स्वीकृति नियमानुसार सक्षम स्तर से जारी की जावे।समस्त कार्यों के लेखा एवं अन्य रिकॉर्ड Manual of Guidelines and Accounting procedures relating to State CAMP/ IFMS Accounting Rule एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुरूप कैम्पा का लेखा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के आधार पर सीएजी द्वारा प्रेषित प्रपत्रों में संधारित करें। लेखों की ऑडिट महालेखाकार द्वारा की जावेगी।
- 9 उप वन संरक्षक प्रत्येक माह की 5 तारीख तक व्यय का मासिक लेखा अपने नियंत्रक अधिकारी/मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय को आवश्यक रूप से प्रेषित करेंगे।

- 10 संबंधित मुख्य वन संरक्षक उनके अधीन वन मण्डलों से 5 तारीख तक लेखा प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे एवं प्रत्येक माह की 10 तारीख तक समस्त वन मण्डलों के लेखे संकलित कर भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्रों में अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजना सुनिश्चित करेंगे तथा कैम्पा अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों के रजिस्टर का संधारण कार्यालय मुख्य वन संरक्षक स्तर पर भी कराया जावे।
- 11 बजट उपयोग के संबंध में समय-समय पर इस कार्यालय राज्य सरकार द्वारा प्रसारित समस्त दिशा निर्देशों की पालना की जावे।
- 12 कैम्पा आवंटित बजट उन्हीं कार्यों पर व्यय किया जावे जहां अन्य योजनाओं के इसी प्रकार के कार्य प्रस्तावित नहीं हो, जिससे योजनाओं के परस्पर Overlapping से बचा जा सकें।
- 13 कैम्पा मद में सामग्री क्रय की कार्यवाही राज. लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के प्रावधानों के ही तहत की जावेगी तथा क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज विभागीय स्टोर पंजिका में किया जावे एवम् विभाग की प्रचलित प्रवृत्ति अनुसार लेखा-जोखा रखा जावेगा।

(शिखा मेहरा)
अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ.14()कैम्पा/अप्रमुवसं/लेखा/ब.आ./2022-23/3239-45

दिनांक : 19/05/2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), राजस्थान, जयपुर।
- 2 निदेशक, राजस्थान वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि समय-समय पर कैम्पा के कार्यों का निरीक्षण करें एवं राशि जिस कार्य हेतु आवंटित की जा रही है उसी कार्य पर व्यय किया जाना तथा वांछित रिकार्ड पूर्ण करवाना भी सुनिश्चित करवायें।
- 3 उप वन संरक्षक, राजस्थान वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर।
- 4 सहा. सांख्यिकी अधिकारी कार्यालय हाजा (CAMPA) को मासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन में संकलन किये जाने हेतु।
- 5 सूचना सहायक कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 6 लेखा शाखा कार्यालय हाजा/रक्षित पत्रावली।

(आकांक्षी जाशी)
उप वन संरक्षक (कैम्पा),
राजस्थान, जयपुर।